

# प्रेस नोट-दिनांक: 06.11.2024

## यातायात पुलिस चंदौली

- ◆ यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1293 वाहनों का चालान करते हुए 20,25,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।
- ◆ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चंदौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान
- ◆ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

**चंदौली-** श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 1293 वाहनों का चालान करते हुए 20,25,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गों, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरूक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

**क्रम संख्या यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या-**

- 1.बिना हेलमेट-693
- 2.नो पार्किंग-210

- 3.तीन सवारी-82
- 4.सीट बेल्ट- 36
- 5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-24
- 6.यातायात नियमों का उल्लंघन-28
- 7.गलत नंबर प्लेट-49
- 8.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-41
- 9.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना-11
- 10.मदिरा पीकर वाहन चलाना-01
- 11.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-06
- 12.काली फिल्म-02
- 13.ओवर स्पीड-08
- 14.लाइसेंस ना होना-06
- 15.प्रेसर हार्न बजाना-09
- 16.जातिसूचक नंबर प्लेट-02
- 17.सीज वाहन-12
- 18.बिना फिटनेस के वाहन चलाना-52
- 19.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-11
- 20.नो एंट्री-07
- 21.प्रदूषण सर्टिफिकेट ना दिखा पाना-03

यातायात नियमों के उल्लंघन में दिनांक 06.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरण:-

(1)संपूर्ण चालान:-1293

(2)संपूर्ण कारित राजस्व:-20,25,500/-₹ (बीस लाख पच्चीस हजार पांच सौ रुपए)